अस्पृश्यता निवारण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम

4398. **श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अस्पृश्यता निवारण हेतु सरकार द्वारा कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में जन आन्दोलन चला कर सिर पर मैला ढोने की इस प्रथा को समाप्त करने का विचार रखती है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है और इस संबंध में निर्धारित उद्देश्य को कब तक प्राप्त कर लेने का विचार रखती है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, नहीं, तथापि चालू वर्ष के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन संबंधी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 6.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(ख) तथा (ग) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना भारत सरकार द्वारा 1991-92 के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना में एक सर्वेक्षण के माध्यम से सफाई कर्मचारियों उनके आश्रितों तथा वैकल्पिक व्यवसायों के लिए उनके कौशल की पहचान करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।

इस योजना के अंतर्गत अभिज्ञात सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को अभिज्ञात व्यवसायों में एक माह से लेकर छ: माह तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिमाह 150/- रु. की वृत्तिका सहित प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह 500/- रु. का औसत व्यय होता है। प्रशिक्षण के बाद सफाई कर्मचारियों का विभिन्न ट्रेडों एवं व्यवसायों में पुनर्वास किया जाता है। इस योजना में 50,000/- रु. तक मूल्य की परियोजनाओं को धनराशि दी जाती है जिसकी 50% राशि राज सहायता होती है जो अधिकतम 10,000 रू. तक हो सकती है। 15% सीमान्त राशि ऋण अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा 4% ब्याज दर पर तथा शेष राशि बैंकों के ऋण के रूप में होती है। राज सहायता तथा प्रशिक्षण संबंधी व्यय को कल्याण मंत्रालय द्वारा 100% पूरा किया जाता है। सीमान्त धनराशि ऋण संबंधी व्यय केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 49:51 के अनुपात में वहन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत कल्याण मंत्रालय को आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 464 करोड़ रू./- आवंटित किये गये हैं ताकि वह इस चुनौतीपूर्ण कार्य को शुरू करने संबंधी व्यय को वहन कर सके।

शहरी विकास मंत्रालय सफाई कर्मचारियों की मुक्ति हेतु विद्यमान शुष्क शौचालयों को निम्न लागत वाली जल प्रवाहयुक्त शौचालयों में परिवर्तित करने तथा जहां कहीं ये विद्यमान न हो, वहां नये शौचालयों के निर्माणार्थ निम्न लागत स्वच्छता नामक एक अन्य केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम चला रहा है। इस प्रक्रिया से सर पर मैला ढोने के कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों को निश्चित रूप से मुक्ति मिल सकेगी। सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास पर विशेष बल देते हुए हाथ से मैला साफ करने की प्रथा को समाप्त करने हेतु उपाय सुझाने के वास्ते योजना आयोग द्वारा गठित कार्यबल की रिपोर्ट के अनुसार अनुमान किया जाता है कि 1989 में शुष्क शौचालयों की कुल संख्या 76.4 लाख तथा सफाई कर्मचारियों की संख्या 4 लाख थी। समेकित योजना के अंतर्गत वार्षिक रूप से 500 शहरों को शामिल करने का लक्ष्य है और यह योजना शहरी आवास निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन तथा वित्त-पोषण पद्धति का अनुसरण करते हुए हुडको के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की एक ही समय राजसहायता तथा ऋण मिश्रित रूप से प्रदान करते हुए चलायी जा रही है:-

श्रेणी	राज सहायता	ऋण	लाभग्राही अंशदान
ई.डब्लयू.एस.	45%	50%	5%
एल.आई.जी.	25%	60%	15%
एम.आई.जी./ एच.आई.जी.	शून्य	75%	25%

Reports on granting relief to Handicapped persons

4399. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Mini.slcr of WELFARE be pleased lo state:

(a) whether Government have received comprehensive reports on the question of granting certain reliefs to handicapped persons cither working with various PSUs or in employment with certain PSUs whose complaints were forwarded by his Ministry during the past three years or so;

(b) whether it is a fact that administrative Ministries have not taken proper action on the suggestions put forward by his Ministry;

(c) whether any further action would be initiated so as to grant relief to handicapped persons; and

(d) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) No, Sir.

(b) to (d) The complaints received from the handicapped person working is various PSUs